न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 24/18 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2018/00058

उनवान

1. मान सिंह पुत्र रूप सिंह
2. जगदीश पुत्र रूप सिंह
3. संजय कुमार पुत्र मान सिंह

} जातियान जाट निवासीयान ग्राम कुरका तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. हरलाल पुत्र कन्हैया
2. रूप सिंह पुत्र हीरा सिंह (मृतक)
   2/1. अशोक कुमारी पत्नी रूप सिंह जाति जाट निवासी बसैया कलॉ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   2/2. वर्षा कुमार उम्र 15 साल पुत्री रूप सिंह
   2/3. लवली कुमार उम्र 10 साल पुत्र रूप सिंह
   2/4. खैमकरण उम्र 12 साल पुत्र रूप सिंह
   2/5. हेमन्त कुमार उम्र 8 साल पुत्र रूप सिंह

   } नाबालिगान बली सरंक्षक माता खुद अशोक कुमारी पत्नी रूप सिंह जाति जाट निवासी बसैया कलॉ तह0 नदबई जिला भरतपुर।
3. भीम सिंह पुत्र निरोती
4. जय सिंह पुत्र निरोती

   } जाति जाट निवासी बसैया कलॉ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. बाबूलाल
6. पूरन
7. पन्ना
8. रामखिलाडी

   } पिसरान रेवती कौम खाती जांगिड ब्राहम्ण निवासी वसैया कलॉ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. सरपंच ग्राम पंचायत गगवाना तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. उप पंजीयक महोदय तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. प्रबन्धक महोदय, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बांसी खुर्द तहसील व जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर नदबई दिनांक 16.02.2018 उनवानी चन्दा देवी बनाम हरलाल मु0न0 153/10

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह ठाकुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो० श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 09.11.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियन 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के आदेश दिनांक 16.02.2018 के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षेप नें प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय नें वादिया चन्दा देवी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियन विरुद्ध प्रतिवादी/रैस्पो० इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र नें अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बसैया कलाँ तहसील नदबई वादिया एवं प्रतिवादी/रैस्पो० के पूर्वजो की पैत्रिक आराजी है, जो वादिया एवं प्रतिवादी/रैस्पो० को जरिये विरासतन अपने पूर्वजो से प्राप्त हुयी है। प्रतिवादी/रैस्पो० आये दिन अपनी इच्छापूर्ति करने के लिये पैत्रिक आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा रहता है। विवादित आराजी प्रतिवादी रैस्पो० संख्या 01 के नान कर्ता खान दान होने की वजह से उनके नान दर्ज अभिलेख है। जिसका लाभ उठाते हुये विवादित आराजी नें से कुछ हिस्सा प्रतिवादी रैस्पो० संख्या 02 को सन् 2000 से पूर्व ही विक्रय कर दिया। जबकि वादिया का विवादित आराजी नें निस्फ हिस्सा हरलाल पुत्र कन्हैया के साथ नें निहित है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् वादिया की नृत्यु होने पर उनके वारिसान की ओर से प्रार्थना पत्र 22 नियन 3 प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई खारिज करते हुये, अपीलाधीन आदेश से दावा वादिया खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय नें पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने-अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली नें उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि प्रकरण नें चन्दा देवी की ओर से संजय कुमार पुत्र नान सिंह को मुख्त्यारनामा दिनांक 17.10.2011 को नियुक्त कर रखा था। तत्पश्चात् चन्दा देवी की नृत्यु दिनांक 16.09.2016 को हो गयी। चन्दा देवी की नृत्यु उपरान्त उसके विधिक वारिसान अपीलाण्ट एवं तीन पुत्रिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियन 3 जा०दी० के तहत दिनांक 01.12.2016 को अधीनस्थ न्यायालय नें प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना जाकर, प्रार्थना पत्र 22 नियन 3 जा०दी० को खारिज करते हुये, दावा नी खारिज कर दिया, जो पूर्णतया कानून एवं पत्रावली के विरुद्ध है। क्योंकि सर्वप्रथन तो अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना आवश्यक था कि चन्दा देवी की नृत्यु दिनांक 16.09.2016 को होने के बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियन 3 जा०दी० अन्दर अवधि 90 दिवस प्रस्तुत किया गया है या नहीं। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र तहरीरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दिनांक 01.12.2016 को प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय का अंकन दिनांक 07.12.2016 किया गया है। यहाँ यह भी मान लिया जावे कि प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2016 को प्रस्तुत किया गया है तो भी प्रार्थना पत्र मृत्यु की दिनांक 16.09.2016 से अन्दर अवधि 90 दिवस प्रस्तुत किया गया है। 90 दिवस दिनांक 09.12.2016 को होते हैं। मुताबिक कानून मियाद अधिनियम तृतीय भाग एप्लीकेशन के पार्ट–1 अनुच्छेद 120 के मुताबिक समय अवधि 90 दिवस होती है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि प्रार्थना पत्र 60 दिवस के बाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया है जो कि कतई गलत है। प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि 90 दिवस के प्रस्तुत किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को चन्दा देवी के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना चाहिये था। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। चन्दा देवी की मृत्यु होने के 15 दिवस बाद ही न्यायालय में मृत्यु होने की सूचना दे दी गयी थी। चन्दा देवी की मृत्यु के पश्चात् मुख्त्यानामा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है एवं मियाद को क्षमा करने हेतु कोई उचित कारण भी प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये गये हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में चन्दा देवी की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 दिनांक 01.12.2016 को प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय की प्रस्तुतीकरण दिनांक 07.12.2016 अंकित है। विधिअनुसार किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने के बाद, उसके विधिक वारिसान को 90 दिवस के अन्दर, कायम मुकाम कार्यवाही करनी होती है। प्रस्तुत प्रकरण में चन्दा देवी की मृत्यु दिनांक 16.09.2016 को हुयी। दिनांक 16.09.2016 से अन्दर अवधि 90 दिवस, दिनांक 09.12.2016 को होते हैं। इस प्रकार प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.12.2016 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद ही प्रस्तुत किया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कायम मुकाम कार्यवाही की अवधि 60 दिवस मानकर, प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। कायम मुकाम कार्यवाही की अवधि 60 दिवस ना होकर 90 दिवस होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के आदेश दिनांक 16.02.2018 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह मृतक चन्दा देवी के विधिक वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाते हुये पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.12.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

7. निर्णय आज दिनांक 09.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

09-11-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर